

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित,.....

C.S.P.D.C.L.....

APPLICATION FOR NEW CONNECTION

BP NO										
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Name of Consumer.....

.....

Address.....

.....

MOBILE NO										
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Processing Fees.....Paid vide MR No.....Date.....

Date of Application.....R-1 NO.....

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित

निम्नदाब विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन सह अनुबंध पत्र

स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज
फोटो

प्रति,

सहायक/कनिष्ठ अभियंता

छ.ग.रा.वि.कं.मर्या.....

महोदय,

मैं/हम अपने परिसर में बिजली प्रदाय हेतु निवेदन करता/करती/करते हैं।

इसके लिए वांछित जानकारी निम्नानुसार है-

1. आवेदक/संस्थान का नाम.....
2. पिता/पति/निदेशक/हिस्सेदार/ट्रस्टी का नाम.....
3. परिसर का पता (जहाँ कनेक्शन में भार वृद्धि/कमी/टैरिफ परिवर्तन हेतु आवेदन किया जा रहा है)
मकान/प्लाट/परिसर क्रमांक.....सड़क /क्षेत्र/कालोनी.....
कस्बा/शहर/गांव.....जिला.....मोबाईल
नं.....ईमेल (उपलब्ध है तो).....
आधार कार्ड क्रमांक.....बी.पी.एल.सर्वे सूची क्र.....
पड़ोसी का स्थायी कनेक्शन क्रमांक यदि उपलब्ध है तो.....
समीपस्थ विद्युत खम्भे का क्रमांक जहाँ से कनेक्शन के लिए आवेदन किया जा रहा है
4. परिसर का निर्मित क्षेत्रफल/प्लाट का क्षेत्रफल.....वर्गफुट/.....वर्गफुट
5. विद्युत आपूर्ति का प्रयोजन.....
6. विद्युत आपूर्ति का प्रकार-स्थायी/अस्थायी.....
अस्थायी कनेक्शन की अवधि.....से.....तक
7. प्रस्तावित कुल संयोजित भार.....किलोवाट/.....एच.पी.
8. समीपस्थ निम्नदाब लाईन के खम्भे से प्रस्तावित विद्युत आपूर्ति के बिन्दु की दूरी.....मी.
9. क्या आवेदक के नाम से अनुज्ञापितधारी की कोई बकाया राशि शेष है हाँ/नहीं
10. क्या स्थल जहाँ विद्युत आपूर्ति मांगी जा रही है पर कोई बकाया राशि शेष है हाँ/नहीं
11. शासन द्वारा अधिकृत विद्युत लायसेंसी ठेकेदार का नाम जिनके द्वारा आवेदित परिसर में विद्युत वायरिंग का कार्य किया गया है
नाम व पता.....
लाईसेंस क्रमांक.....
12. उपरोक्त परिसर (जो लागू हो \sqrt का निशान लगावें)
अ मेरे स्वामित्व अधिकार में हैं जिनके दस्तावेजी प्रमाण मेरे पास उपलब्ध है।
ब मेरे द्वारा किराए पर लिया गया है एवं परिसर स्वामी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
13. परिसर में विद्युत खपत रिकार्ड करने के लिए (जो लागू हो \sqrt का निशान लगावें)
अ निर्धारित शर्तों पर स्वयं का मीटर लगवाना चाहता हूँ।
ब निर्धारित शर्तों पर विद्युत वितरण कंपनी का मीटर लगवाना चाहता हूँ।
14. उपरोक्त आवेदन के आधार पर विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से निम्न बिन्दु पर मैं/हम सहमत हूँ/हैं।
क. उपरोक्त दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है एवं अन्यथा की स्थिति में परिणामों की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी रहेगी।

- ख. यह कि छ.ग.रा.वि.वितरण कं.मर्या. जिसका आगे चलकर वितरण कंपनी के नाम से उल्लेख है उपभोक्ता को 230.400 वोल्ट पर कंडिका 03 में दर्शाए हुए स्थान पर विद्युत आपूर्ति करेगा। उपभोक्ता इसका उपयोग कंडिका 5 में दर्शाए प्रयोजन के लिए और कंडिका 7 में घोषित भार की सीमा तक ही करेगा।
- ग. यह कि विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था पूरी हो जाने पर वितरण कंपनी उपभोक्ता को विद्युत उपलब्धता की सूचना देगी। सूचना के उपरांत एक माह की अवधि में उपभोक्ता को कनेक्शन लेना होगा अन्यथा अवधि समाप्त होने के अगले दिन से ही अथवा कनेक्शन लेने की तिथि से अनुबंध प्रभावशील होगा। यह अनुबंध विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों के अधीन विद्युत प्रदाय समाप्त होने तक प्रभावशील रहेगा।
- घ. यह कि उपभोक्ता द्वारा विगत माह में की गई विद्युत की खपत के लिए वितरण कंपनी को प्रत्येक माह ऐसे विद्युत एवं अन्य प्रभारों का भुगतान करना होगा जो कि अनुबंधित उपभोक्ता श्रेणी के लिए समय समय पर आयोग द्वारा अवधारित किए जाएँगे। इन प्रभारों में इंधन मूल समायोजन प्रभार एवं अन्य विविध प्रभार भी सम्मिलित होंगे।
- ङ. यह कि उपभोक्ता विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों (समय समय पर संशोधित) के अनुसार आवश्यक प्रतिभूति और अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करेगा।
- च. यह कि उपभोक्ता परिसर पर किसी भी प्रकार की बकाया राशि/संचित राशि का भुगतान करेगा तथा सहमति देता है कि वितरण कंपनी उपभोक्ता से इस तरह की राशि वसूली अथवा बकाया राशि को उपभोक्ता के नाम पर किसी अन्य मौजूद कनेक्शन, चाहे वह किसी अन्य परिसर में हो, में स्थानांतरित कर सकने हेतु अधिकृत रहेगा।
- छ. यह कि उपभोक्ता विद्युत वितरण कंपनी द्वारा चयनित स्थान पर स्थापित विद्युत मीटर की सुरक्षा करेगा एवं उक्त मीटर की सील के साथ छेड़खानी नहीं करेगा।
- ज. यह कि उपभोक्ता विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रदत्त विद्युत का उपभोग स्वयं के अलावा किसी अन्य व्यक्ति/परिसर में विद्युत का विस्तार/किराए आदि पर देने का कार्य नहीं करेगा।
- झ. यह कि आवेदक द्वारा कनेक्शन के पूर्व परिसर के विद्युत वायरिंग की टेस्ट रिपोर्ट उपरोक्त लाईसेंस द्वारा ठेकेदार द्वारा प्राप्त कर विद्युत वितरण कंपनी को प्रस्तुत किया जावेगा।
- ञ. यह कि उपभोक्ता विद्युत अधिनियम 2003 के तहत निर्धारित कानून एवं नियम संशोधनों सहित विद्युत प्रदाय संहिता तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपबंध) नियमावली 2010 के प्रावधानों में समय समय पर किए गए संशोधनों के अंतर्गत ही विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति की जावेगी तथा उपभोक्ता उक्त प्रावधानों का पालने करने हेतु बाध्य होगा। अनुबंध का अर्थ एवं व्याख्या भी उन्हीं के यथासंदर्भानुसार की जावेगी।

नीचे लिखे हुए व्यक्तियों के सामने

आवेदक ने हस्ताक्षर किए।

(नाम व पता)

1. गवाह

2. गवाह

नीचे लिखे हुए व्यक्तियों के सामने

प्राधिकृत अधिकारी ने हस्ताक्षर किए।

(नाम व पता)

1. गवाह

2. गवाह

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक.....

विद्युत वितरण कंपनी के प्राधिकृत

अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

दिनांक.....

परिशिष्ट-3

समक्ष- श्रीमान् पब्लिक नोटरी महोदय,.....छ.ग.

नये कनेक्शन हेतु घोषणा पत्र

मैं.....पिता/पत्नी.....

निवासी.....तहसील.....

जिला.....छ.ग. के द्वारा मोहल्ला/स्थान पर.....

विद्युत कनेक्शन घरेलू/व्यावसायिक/औद्योगिक/पावर/पम्प हेतु आवेदन प्रेषित कर रहा/रही हूँ।

एतद द्वारा मैं घोषणा करता/करती हूँकि-

1. आवेदन में उल्लेखित सभी तथ्य एवं संलग्न दस्तावेज सही हैं एवं कोई भी तथ्य या दस्तावेज गलत होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावे एवं प्रक्रिया शुल्क एवं सर्विस कनेक्शन शुल्क राजसात कर दिया जावे।
2. मेरे द्वारा जिस परिसर में विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया गया है, उस परिसर पर आंतरिक वायरिंग एवं स्विच लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है।
3. मेरे द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु सर्विस केबल का कार्य विद्युत वितरण कंपनी के मापदण्डों के अनुसार करवा लिया गया है एवं मेन स्विच मकान/दुकान के मुख्य द्वार के पास बरामदे में छः फीट की उँचाई पर स्थापित कर लिया गया है।
4. परिसर में वायरिंग का कार्य अधिकृत विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित किया गया है तथा आवश्यक परीक्षण प्रपत्र निर्दिष्ट नियमों के अनुसार संलग्न किया गया है।
5. मेरे परिसर में विद्युत कनेक्शन लगाने हेतु प्रस्तावित मीटर स्थल से निम्न दाब विद्युत पोल क्रमांक..... की दूरीमीटर है जो कि 30 मीटर से कम है।
6. कनेक्शन हेतु सर्विस लाईन ले जाने हेतु कोई मकान/प्लॉट क्रास नहीं हो रहा है। यदि क्रासिंग है तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर रहेगी एवं भविष्य में आपत्ति किए जाने पर तुरंत कनेक्शन काट दिया जाए।
7. उक्त परिसर में विद्युत वितरण कंपनी की विद्युत बिल से संबंधित कोई बकाया राशि नहीं है। यदि जाँच के दौरान कोई बकाया राशि पाई गई जो विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जो भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी उसके लिए मैं पूर्ण रूप से सहमत रहूँगा/रहूँगी।

दिनाँक.....

स्थान.....

गवाह-

1.....

2.....

आवेदक

नाम.....

पता.....

टेलीफोन नं.....